—:: न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::—
बईजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मिसल न0

बउनवान

ओमप्रकाश आत्मज भंवरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। —वादी—

बनाम

1. बलराम पुत्र पन्नाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तह0 सांगोद
2. परसराम पुत्र पन्ना जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तह0 सांगोद
3. रामनिवास पुत्र जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांगोद जर्ये प्रबन्धक महोदय सांगोद
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। —प्रतिवादीगण—

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 एल आर एक्ट

उपस्थितिः—
वादी की ओर सेः— श्री ओमप्रकाश शर्मा एड़वोकेट
प्रतिवादीन01ता3 की ओर से :— श्री अमित कुमार पांचाल एडवोकेट
प्रतिवादीन04 की ओर से :— श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता एडवोकेट
प्रतिवादीन05 की ओर से :— पैरोकार सरकार

—:: निर्णय ::— दिनांकः— 01/02/2023

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सेटलमेन्ट हाल सम्वत 2058 के पूर्व प्रतिवादीगण 1लगायत 3 की स्व0 माता जी रत्तीबाई बेवा पन्ना जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा के खातेदारी मे माल ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान के माल मे अन्य खसरा कमांक के साथ खसरा न0 156 रकबा 8बिस्वा, खसरा न0 170 की 2बीघा 5बिस्वा, आराजी खाता सं0 नई 48 पुरानी 44 की जमाबन्दी सम्वत 2053से 2056 मे दर्ज रेकार्ड है, जमाबन्दी सम्वत 2053से 2056 वाद पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की गई है, प्रतिवादीकम 1ता3द्वारा अपनी स्व0 माताजी रत्तीबाई पत्नी पन्ना के खातेदारी मे दर्ज खसरा न0 156 की 8बिस्वा, खसरा न0 170 की 2बीघा 5बिस्वा आराजी जो अन्य खसरा नम्बरान के साथ उक्त आराजी लोन के पूर्व प्रतिवादीगण के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड रही है, वादी द्वारा उक्त आराजी मे से खसरा न0 156 की 8बिस्वा, खसरा न0 170 की 2बीघा 5बिस्वा मे से 10बिस्वा आराजी उत्तरी तरफ की यानि कुल 2 किता की 1बीघा 2बिस्वा आराजी विक्रय मूल्य 30,000रूपये मे क्रय की थी, जिसका उपपंजीयन कार्यालय

2..

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

सांगोद मे दिनांक 27.6.2002 बरोज गुरूवार को उपपंजीयक(उप रजिस्ट्रार सांगोद) द्वारा पुस्तक स0 1 जिल्द स0 47 मे पृष्ठ स0 581/12 पर पंजीयन किया गया है, वादी को प्रतिवादीगण कम 1लगातय 3 द्वारा वक्त खरीद मौके पर कब्जा संभला दिया था। तब से ही वादी खरीद शुदा उपरोक्त वर्णित आराजी पर काबिज काश्त है, विक्रय नामा की रजिस्टर्ड प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादी द्वारा प्रतिवादी के ही हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी को क्रय किया था, वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी जब क्रय की थी, तब प्रतिवादीगण 1लगायत3 के वादग्रस्त आराजी सम्मलित खातेदारी मे दर्ज थी, इस कारण सभी खातेदारान द्वारा उपरोक्त विक्रय नामा पर अपने हस्ताक्षर किये थे, परन्तु उस समय विक्रय पत्र मे यह अंकित करवा दिया था, कि आराजी हिस्सा परसराम का ही विक्रय किया गया है, अन्य विक्रेतागण द्वारा आराजीयात का राजस्व रेकार्ड मे वास्तविक विभाजन नही होने से सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये है। वादी द्वारा जिस समय 27.6.2002 का वादग्रस्त आराजी क्रय की थी, उस समय आराजीयात वादग्रस्त पर हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांगोद या किसी अन्य वित्तीय संस्था का ऋण भार अंकित नही था। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा आराजीयात विक्रय करने के कुछ समय बाद ही पारिवारिक आवश्यकता आ जाने के कारण अपने खातेदारी की सम्पूर्ण आराजीयात पर बैंक से ऋण ले लिया, एवं प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण आराजीयात जिसमे वादी द्वारा खरीद शुदा आराजी भी सम्मलित थी, पर बैंक का नोट अंकित हो जाने से वादी के नाम उसके द्वारा खरीदशुदा आराजी का नामान्तरण राजस्व कर्मचारियो द्वारा नही खोला गया। वादी के उक्त थ्य जानकारी मे आने के बाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण से कहा गया, कि आप द्वारा मुझे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खसरा न0156 की 8बिस्वा व खसरा न0 170 की 2बीघा 5बिस्वा आराजी मे से 10बिस्वा उत्तरी तरफ की आराजी विक्रय की गई है, आप द्वारा उस बैंक से ऋण भार क्यो दर्ज करवाया, जिसके कारण मेरे द्वारा खरीद शुदा आराजी का नामान्तरण तस्दीक राजस्व कर्मचारियो द्वारा नही किया जा रहा है, इस पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को आश्वासित किया, कि हमने जो आराजी आपको विक्रय की है, उस पर रूबरू गवाहान आपको कब्जा संभला दिया है, एवं कुछ समय बाद हम आपस मे सहमति से राजस्व रेकार्ड मे विधिवत खातो का विभाजन करवायेंगे, तब अपने आप आपके द्वारा खरीद शुदा आराजी प्रथक से आपके खातेदारी मे दर्ज करवा दी जावेगी। परन्तु प्रतिवादीगण कम1ता3 द्वारा वादी को मुगालते मे रखकर बिना वादी की जानकारी मे लाये व प्रतिवादीगा कम 1ता3 द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा के वक्त बंटवारा अपने द्वारा विक्रय की गई आराजी की जानकारी तहसीलदार सांगोद को दिये बिना ही राजस्व रेकार्ड मे अपने खाते प्रथक प्रथक रूपसे दर्ज करवा ली है, एवं पुनः प्रथक प्रथक खाते पर बैंक से ऋण लेकर ऋण भार दर्ज करवा लिया। उक्त तथ्य की जानकारी होने पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण कम 1लगायत3 को पुनः उलाहना देने पर उनके द्वारा कहा गया, कि आपने परसराम प्रतिवादी कम2 के हिस्से की आराजी ही क्रय की है, एवं मुताबिक रजिस्टर्ड बैनामा आपके खाते मे परसराम

3.....

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जिला- कोटा

के हिस्से की आराजी ही कानूनन आपके नाम नामान्तरण खुलेगा। एवं परसराम अपने द्वारा विक्रीत की गई खसरा न0 156 की 8बिस्वा व खसरा न0 170 की 2बीघा 5बिस्वा मे से 10बिस्वा उत्तरी आराजी जो परसराम के खाते मे दर्ज हो गई है, जिसके वर्तमान सेटलमेन्ट 2058 के बाद नवीन खसरा न0346 की 0.07हेक्टर, खसरा न0 349/733 की 0.07 हेक्टर कायम किये है, उन पर आपके नाम राजस्व रेकार्ड मे नामान्तरण दर्ज करने पर हम सहमति प्रदान करेंगे, एवं बैंक ऋण हमारी खातेदारी की अन्य आराजी पर दर्ज करने पर हम अपनी सहमति प्रदान करेंगे। वादी द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत शिविर मे वादी को विक्रीत की गई उपरोक्त वर्णित आराजी का नामान्तरण खुलवाने मे सहयोग प्रदान करने की कहने पर, वादी द्वारा लोक अदालत शिविर मे दिनांक 30.5.2016 को शिविर प्रभारी के समक्ष वादी द्वारा अपने द्वारा खरीद शुदा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के मध्य प्रार्थना पत्र के पेश कर माल ग्राम चतरपुरा की खसरा न0 156 की 8बिस्वा व खसरा न0 170 की 2बीघा 5बिस्वा मे से 10बिस्वा उत्तरी आराजी जिसके सेटलमेन्ट2058 के बाद नवीन खसरा न0346 की 0.07हेक्टर, खसरा न0 349/733 की 0.07 हेक्टर कायम किये है, का नामान्तरण अपने नाम पेश करने का निवेदन किया, उस पर शिविर प्रभारी द्वारा नामान्तरण खोलने हेतु तहसीलदार महोय सांगोद को मार्क कर प्रार्थना पत्र अग्रेसित किया, एवं तहसीलदार सांगोद द्वारा पटवारी हल्का हींगी से उक्त प्रकरण मे अपनी रिर्पोट प्रेषित करने एवं इन्तकाल खोलकर पेश करने के लिए कहा, उस पर हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपनी रिर्पोट दिनांक 30.5.2016 को तहसीलदार सांगोद को पेश की। एवं तहसीलदार सांगोद द्वारा मूल प्रार्थना पत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सांगोद को प्रेषित किया। एसं तहसील सांगोद द्वारा उक्त रजिस्ट्री सेटलमेन्ट के पूर्व की होने वं खातेदार परसराम जिसके हिस्से की आराजी वादी द्वारा क्रय की गई है, उस पर हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांगोद रहन दर्ज होने से उक्त नामान्तरण उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का होने व उक्त मामले मे नियमित न्यायालय मे वाद पेश करने की सलाह देने से वादी के लिए माननीय न्यायालय मे वाद पेश करना आवश्यक हुआ है, कि वह श्रीमान के न्यायालय मे अपने द्वारा क्रय की गई खसरा न0 156 की 8बिस्वा व खसरा न0 170 की 2बीघा 5बिस्वा मे से 10बिस्वा उत्तरी आराजी जिसके वर्तमान सेटलमेन्ट 2058 के बाद नवीन खसरा न0346 की 0.07हेक्टर, खसरा न0 349/733 की 0.07 हेक्टर कायम किये है, जो परसराम के खाते मे दर्ज हो गई है, को अपने खातेदारी मे दर्ज करवाने के लिए अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने एवं तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अपना नाम इन्द्राज कराने हेतु वाद प्रस्तुत करे, जिसके लिए उक्त वाद माननीय न्यायालय मे पेश किया गया है।वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई।तथा प्रतिवादीन01ता3 द्वारा वादी का वाद स्वीकार किये जाने मे अपनी सहमति प्रदान करते हुए दावा डिकी किये जाने के समर्थन मे जवाब दावा प्रस्तुत किया, तथा वादी व प्रतिवादीगण ने न्यायाय मे राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन

4....

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जिला- कोटा

किया, कि वादी द्वारा क्रय शुदा माल ग्राम चतरपुरा की खसरान0156 की 8बिस्वा व खसरा न0 170 की 2बीघा 5बिस्वा मे से 10बिस्वा उत्तरी आराजी जिसके सेटलमेन्ट2058 के बाद नवीन खसरा न0346 की 0.07हेक्टर, खसरा न0 349/733 की 0.07 हेक्टर कायम किये है, जो वर्तमान मे प्रतिवादी क्रम2 परसराम के खाते मे दर्ज को वादी के खातेदारी मे दर्ज कर,वादी को खातेदार घोषित किये जाने मे अपनी सहमति प्रदान की है।राजीनामा तस्दीक किया जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। उक्त आराजी पर वर्तमान मे बैंक रहन भार दर्ज नही है।

उक्त प्रकरण मे राजीनामा प्रस्तुत होने पर राजीनामा व पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेज, रेकार्ड आदि का गहनता से अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर हम वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य समझते है, जिससे वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है।

—:: **आदेश** ::—

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है, कि वादी द्वारा क्रय शुदा माल ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का हींगी तहसील सांगोद की खसरा न0 156 की 8बिस्वा व खसरा न0 170 की 2बीघा 5बिस्वा मे से 10बिस्वा उत्तरी आराजी जिसके सेटलमेन्ट2058 के बाद नवीन खसरा न0346 की 0.07हेक्टर, खसरा न0 349/733 की 0.07 हेक्टर कायम किये है, जो वर्तमान मे प्रतिवादी क्रम2 परसराम के खाते मे दर्ज को वादी के खातेदारी मे दर्ज कर, वादी को खातेदार घोषित किया जाता है, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।नियमानुसार डिक्री पर्चा प्रथक से जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।

(राजेश डागा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला - कोटा

निर्णय आज दिनांक 01/02/2023..........को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला - कोटा

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई
आर. रूल्स 6–7 जाब्जा दीवानी

निर्णय बईजलास श्री राजेश डागा(आर ए एस) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
मिसल न0 / तारीख दायराः–

बउनवान

ओमप्रकाश आत्मज भंवरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। –वादी–

बनाम

1. बलराम पुत्र पन्नाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तह0 सांगोद
2. परसराम पुत्र पन्ना जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तह0 सांगोद
3. रामनिवास पुत्र जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांगोद जर्ये प्रबन्धक महोदय सांगोद
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 एल आर एक्ट

दिनांकः– 1-02-2023

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री राजेश डागा(आर ए एस) व हाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट वकील वादी एवं प्रतिवादीन01ता3 श्री अमित कुमार पांचाल एडवोकेट, प्रतिवादी न04 श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता, प्रतिवादी न05 पैरोकार सरकार मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री .....मिन मुद्दायल पेश होकर आदेश दिया जाता है किः– वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है, कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है, कि वादी द्वारा कय शुदा माल ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खसरा न0 156 की 8बिस्वा व खसरा न0 170 की 2बीघा 5बिस्वा मे से 10बिस्वा उत्तरी आराजी जिसके सेटलमेन्ट 2058 के बाद नवीन खसरा न0346 की 0.07हेक्टर, खसरा न0 349/733 की 0.07 हेक्टर कायम किये है, जो वर्तमान मे प्रतिवादी कम2 परसराम के खाते मे दर्ज को वादी के खातेदारी मे दर्ज कर, वादी को खातेदार घोषित

2.....

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

किया जाता है, तथा उक्त घोषणा के अनुकम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(राजेश सोनी)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद